# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

**अपील संख्या 150/2022, जिला सीकर**

1. राधेश्याम रैगर पुत्र नन्दा
2. प्रभूदयाल पुत्र नन्दा
3. सुरजाराम पुत्र नन्दा

समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम गढभोपजी, लोहरवाडा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।

**–अपीलान्ट्स**

**बनाम**

1. सरकार जरिये तहसीलदार खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर ।

**–रेस्पोंडेन्ट्स**

2. कैलाश पुत्र मुरली
3. गोपाल पुत्र बालू
4. धर्मपाल पुत्र मंगलचन्द
5. नेकीराम पुत्र झाबरमल
6. नवलकिशोर पुत्र परसाराम
7. नारायणी देवी पत्नी गणपतराम
8. प्रभातीलाल पुत्र परसाराम
9. बाबूलाल पुत्र मंगलचन्द
10. बिशना पुत्र लादू
11. गोपाल पुत्र गणपतराम
12. मुकेश पुत्र झाबरमल
13. मनफूल पुत्र झाबरमल
14. मामराज पुत्र भागुराम
15. श्योचन्द पुत्र मुरलीधर
16. श्रवणी देवी पत्नी झाबरमल
17. शिवदयाल पुत्र बालू
18. सुवादेवी पत्नी मंगलचन्द

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम गढभोपजी, लोहरवाडा, तहसील खण्डेला जिला सीकर ।

**–तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर निर्णय दिनांक 14.12.2021 क्रमांक/राजस्व/2021/कैम्प गढभोपजी–02

उपस्थित–

1. श्री मदन लाल कुडी, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।

**निर्णय**

**दिनांक –03.07.2023**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के निर्णय दिनांक 14.12.2021 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 31.10.2022 को प्रस्तुत हुई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर को तन ग्राम गढभोपजी प0ह0 लोहरवाडा तहसील खण्डेला स्थित ख0नं0 520, 521, 426, 414, 423, 424, 422, 415, 421, 364, 365, 366, 412, 360 में होता हुआ उक्त रास्ता



Scanned by CamScanner

गढभोपजी से खातीवाला तक जाने वाला रास्ता तक जाता है का प्रस्ताव मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस भेजा। रास्ता मौके पर बाहरमासी चलना बताया गया है। ग्राम पंचायत का मांगपत्र पेश कर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता कई वर्षों से एवं बारहमासी रास्ता माने हुये उक्त रास्ते को गै0मु0 रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्ताव भेजा गया। जिस बाबत् उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर ने अपने निर्णय दिनांक 14.12.2021 को उक्त खसरा नम्बर में रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 14.12.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट राधेश्याम रैगर पुत्र नन्दा वगै0 द्वारा यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर 14.12.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता उप.। रेस्पो. नं. 2 लगायत 18 की ओर कोई हाजिर नहीं आये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम गढभोपजी, पटवार हल्का लोहरवाडा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 520, 521, 426, 414, 423, 424, 422, 415, 421, 364, 365, 366, 412, 360 भूमि स्थित है। जिसमें अपीलार्थीगण सहखातेदार काष्तकार है एवं खसरा नम्बर 450 स्थित है। जिसके अपीलार्थीगण खातेदार काश्तकार है, जो अपनी भूमि पर निर्विवाद काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर व पटवारी द्वारा बिना मौके की जॉच किये उक्त विवादित भूमि में रास्ता प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर को भेजा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना मौके की जॉच, खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये है, जबकि उक्त भूमि खसरा नम्बर 520, 521 के अलावा अन्य पडौसी खातेदारों के सीमा लगते खेतों से किसी प्रकार का रास्ता कायम नहीं किया है। भूमि खसरा नम्बर 450 जिसका कहीं भी तहसीलदार खण्डेला के द्वारा तैयार प्रस्ताव में कहीं भी उल्लेख नहीं होते हुये भी तथा ना ही अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में उक्त खसरा नम्बर 450 का कहीं भी उल्लेख नहीं होने के बावजूद भी अपीलान्ट के भूमि खसरा नम्बर 520, 521 जहॉ पर कभी भी मौके पर रास्ता मौके पर प्रचलित नहीं रहा है, जबकि उक्त भूमि में पूर्व में ना तो कोई आम व सार्वजनिक रास्ता था ना ही वर्तमान में है, फिर भी तरमीम कर नक्षे में अंकन कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन ओदष में भी खसरा नम्बर 450 में से रास्ते का रिकॉर्ड में भी नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 2016 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार न करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2021 पारित करने में कानूनी गलती की है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेष उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर दिनांक 14.12.2021 निरस्त किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेष की जानकारी अपीलान्टस को नहीं थी। अभी हाल ही में दिनांक 20.10.2022 को मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं उसके कर्मचारी मौके पर आये और भूमि की नाप जोख करने लगे, जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा उनसे भूमि पर आने एवं उनकी खातेदारी भूमि की बिना अपीलार्थीगण की अनुमति के नाप जोख करने का कारण पूछा तो रेस्पोडेन्ट द्वारा बताया गया कि आपकी भूमि में से रास्ता निकालने का उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर ने आदेश पारित किया है, जिस कारण नाप जोख कर रास्ता निकालने की कार्यवाही कर रहे हैं, और राजस्व कर्मचारियों द्वारा अधिनस्थ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर



Scanned by CamScanner

न्यायालय के आदेश की एक प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध करवाई। जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 20.10.2022 को अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु आवेदन किया, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता के सुसाईड किये जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय पर ताला लगा हुआ है तथा वहां उपस्थित कर्मचारियों ने बताया कि अभी किसी भी हालात में आपको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। ऐसी स्थिति में उक्त फोटो प्रति के साथ उक्त अपील जानकारी से अन्दर मियाद शुमार की जाकर नरमी का रूख अपनाते हुये डिले कण्डोन कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित है एवं सार्वजनिक रूप से आवागमन हेतु उपयोग में आ रहा है। मौके की जॉच पश्चात् एवं पटवारी हल्का व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। खसरा नम्बर 450 का कोई ऑर्डर जारी किया गया है। खसरा नम्बर 450 में से कोई रास्ता निकाला है, उसका कोई साक्ष्य, नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसमें डोटेड लाईन से रास्ता दर्शित होता हो। खसरा नम्बर 450 में से रास्ता इस आदेश में नहीं दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी की दिनांक 20.10.2022 को होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि रास्ता मौके पर प्रचलित व पुराना है एवं तन ग्राम गढभोपजी से प0 ह0 लोहरवाडा तहसील खण्डेला तक जाता है तथा सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है जिससे माना जा सकता है कि राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज एवं मौके पर प्रचलित रास्ते को ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर द्वारा इस संबंध में राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार खण्डेला के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव के आधार पर रास्ते का निर्णय पारित किया गया है, इससे खातेदारी अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। खसरा नम्बर 450 में से कोई रास्ता निकाला गया हो, उसका कोई आदेश, दस्तावेज, नक्शा, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 450 में से रास्ते का कोई आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

**अतः आदेश है कि:** अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर का निर्णय दिनांक 14.12.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/7/23

( असलम शेर खान )
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner